

हरिसत में यातना

प्रलिस के लयि:

[मौलिक अधिकार](#), [भारतीय दंड संहति](#), [दंड प्रकरयि संहति](#)

मेन्स के लयि:

हरिसत में यातना और हरिसत में मौत के कारण, पुलसि प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी और पूछताछ, [हरिसत में मौत](#) से बचाव के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो पुलसि अधिकारयिों को पुलसि हरिसत में अभयिकृतों को प्रताड़ति करने, [हरिसत में यातना \(हसि\)](#) देने के आरोप में नलिंबति कयिा गया है।

हरिसत में यातना (हसि):

परचिय:

- हरिसत में यातना से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्तिको **शारीरिक या मानसिक यातना या पीड़ा देना है जो पुलसि या अन्य अधिकारयिों की हरिसत में है।**
- यह **मानवाधिकारों** और गरमिा का गंभीर उल्लंघन है तथा अक्सर यह **हरिसत में होने वाली मौत**, जो कसिी व्यक्तिकी हरिसत के दौरान होती है, का कारण भी बनता है।

हरिसत में मौत के प्रकार:


- **पुलसि हरिसत में मौत:**
 - पुलसि हरिसत में मौत अत्यधिक बल, यातना, चकितिसा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप हो सकती है।
- **न्यायिक हरिसत में मौत :**
 - अत्यधिक भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वच्छता, चकितिसा सुवधिाओं का अभाव, कैदी हसिा या आत्महत्या न्यायिक हरिसत में मौत के कारण हो सकते हैं।
- **सैन्यबलों या अर्द्धसैनिक बलों की हरिसत में मौत :**
 - यह यातना, असामान्य हत्याओं, मुठभेड़ या गोलीबारी की घटनाओं के माध्यम से हो सकता है।

भारत में हरिसत में मौत:

- गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, वर्ष 2017-2018 की अवधि में **पुलसि हरिसत में मौत के कुल 146 मामले पाए गए, जबकि:**
 - वर्ष 2018-2019 में 136
 - वर्ष 2019-2020 में 112
 - वर्ष 2020-2021 में 100
 - वर्ष 2021-2022 में 175
- पछिले पाँच वर्षों में हरिसत में सबसे अधिक (80) **मौतें गुजरात** में दर्ज की गई हैं, इसके बाद **महाराष्ट्र** (76), उत्तर प्रदेश (41), तमलिनाडु (40) और बहिर (38) का स्थान है।

STATES WITH HIGHEST CUSTODIAL DEATHS

■ 2017-18 ■ 2018-19 ■ 2019-20 ■ 2020-21 ■ 2021-22



■ भारत में हरिसत अवधि में अत्याचार को रोकने में चुनौतियाँ:

- अत्याचार और अन्याय कूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा (UNCAT) के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसमर्थन का अभाव, जिस पर भारत ने वर्ष 1997 में हस्ताक्षर किये थे लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
 - यह भारत को हरिसत में यातना को रोकने और वरिध करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और मानकों द्वारा बाध्य होने से रोकता है।

हरिसत में यातना संबंधी संवैधानिक तथा कानूनी ढाँचा:

■ संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना तथा अन्याय कूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय, जो कि अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त वधिक अतिक्रमण नहीं किया है इस प्रकार यह कानून अपराध से संबंधित कानूनी रूप से उल्लिखित सज़ा से अधिक की सज़ा पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, किसी को भी अपने वरिद्ध गवाही देने हेतु वरिध नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही उपयोगी नयिम है क्योंकि यह अभियुक्तों के कबूलनामे, जब उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर या प्रताड़ित किया जाता है, पर रोक लगाता है।

■ कानूनी सुरक्षा:

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 में यह घोषित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जाँच एजेंसियों की धमकी, वादे या प्रलोभन के कारण दिये गए सभी इकबालिया बयान कानून की अदालत में स्वीकार्य नहीं होंगे। यह धारा मुख्य रूप से अभियुक्त को उसकी इच्छा के वरिद्ध संसृकृत देने से रोकने का काम करती है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 330 और 331 के तहत जब कोई संपत्ति हिडपने के इरादे से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या उस व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिये प्रेरित करता है तो उसे दंडित किया जाता है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया और इसमें सुरक्षा उपाय शामिल किये गए ताकि पूछताछ के लिये गरिफ्तारी एवं हरिसत हेतु उचित आधार एवं दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, गरिफ्तारी को परिवार, दोस्तों एवं आम जनता के लिये पारदर्शी बनाया जा सके तथा कानून के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाए।

मानवाधिकारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

■ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 1948:

- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और जबरन गायब करने से बचाता है।

■ संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर कैंदियों के साथ गरमिपूर्ण व्यवहार करने का आह्वान करता है। चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद उनकी मौलिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध व आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में नरिधारित हैं।

- नेल्सन मंडेला नयिम, 2015:
 - नेल्सन मंडेला नयिमों को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा वर्ष 2015 में कैदियों से सम्मान के साथ व्यवहार करने और यातना एवं अन्य दुरव्यवहार को प्रतर्बिधति करने हेतु अपनाया गया था ।

हरिसत में यातना से नपिटने संबंधी उपाय:

- कानूनी प्रणालियों को मज़बूत बनाना:
 - ऐसे कानून पारति करना जो हरिसत में यातना का अपराधीकरण करता हो ।
 - हरिसत में प्रताड़ना के आरोपों की त्वरति और नषिपक्ष जाँच सुनशिचति करना ।
 - नषिपक्ष और त्वरति सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह ठहराना ।
- पुलसि सुधार और संवेदीकरण:
 - मानवाधिकारों और गरमि के सम्मान पर ज़ोर देने हेतु पुलसि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना ।
 - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना ।
 - हरिसत में प्रताड़ना के मामलों की प्रभावी ढंग से नगिरानी और समाधान करने हेतु नरीक्षण तंत्र स्थापति करना ।
- नागरकि समाज और मानवाधिकार संगठनों को सशक्त बनाना:
 - नागरकि समाज संगठनों को हरिसत में यातना के पीड़ितों की सक्रयि रूप से वकालत करने हेतु प्रोत्साहति करना ।
 - पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता एवं कानूनी सहायता प्रदान करना ।
 - नविरण और न्याय के लयि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नकियों एवं संगठनों के साथ सहयोग करना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनशिचति करने वाले अन्य यांत्रकित्वों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो । उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका तथा अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये । (2014)

[स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/custodial-torture-1>